उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग-2
संख्या- 211 /2024/1398/41-2-2024-CN-**1521000**
लखनऊ दिनांक 08 अगस्त, 2024

संख्या-70/2024/294/002-41-2-2024- CN-**1521000, दिनांक 29.02.2024**

का शुद्धि पत्र

महानिदेशक, पर्यटन के पत्र संख्या-2783/6-1-1/(सिद्धार्थनगर)/भूमि//2024-25, दिनांक 31 जुलाई, 2024 द्वारा संसूचित वस्तुस्थिति के अनुसार जनपद सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में ग्राम बर्डपुर, नम्बर-1, तहसील नौगढ़ के कुल 26 गाटों की 13.317 हे0 भूमि क्रय हेतु अवशेष धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या-70/2024/294/002-41-2-2024-CN-1521000, दिनांक 29.02.2023 (29 फरवरी, 2023 के स्थान पर 29 फरवरी, 2024 अंकित किये जाने हेतु शुद्धि पत्र दिनांक 11 मार्च, 2024 निर्गत किया जा चुका है) के प्रस्तर-2 के क्रमांक-4 पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 56,42,460.00 के स्थान पर रू0 560,42,460.00 अंकित हो गया है

2. अत: शासनादेश संख्या-70/2024/294/002-41-2-2024-CN-1521000, दिनांक 29.02.2024 के प्रस्तर-2 के क्रमांक-4 पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 560,42,460.00 के स्थान पर रू0 56,42,460.00 अंकित किया जाता है।

तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 29.02.2024 को संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महानिदेशक पर्यटन, उ**0**प्र**0**, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-2783/6-1-1/(सिद्धार्थनगर)/ भूमि//2024-25, दिनांक 31 जुलाई, 2024 के सन्दर्भ में।
4- आयुक्त, बस्ती मण्डल, बस्ती।
6- जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
7- उप जिलाधिकारी, नौगढ़।
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
9- निदेशक, पर्यटन उ0प्र0, लखनऊ।
10- उप निदेशक (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
11- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
12- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, बस्ती मण्डल, सिद्धार्थनगर।
13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
14- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
15- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in